भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 62
18.11.2019 को उत्तर के लिए

वनों की कटाई के कारण पर्यावरण का अवक्रमण

62. श्री संजय सिंह :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान वनों की कटाई का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उपरोक्त समस्या की क्षतिपूर्ति करने हेतु वनरोपण कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख) वनों की कटाई विभिन्न कारकों के कारण होती है जिनमें अत्यधिक दोहन, छंटाई, शहरीकरण और अन्य उद्देश्यों हेतु उपयोग आदि शामिल हो सकते हैं। मंत्रालय के भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) द्वारा भारत राज्य वन रिपोर्ट (आईएसएफआर) के द्विवार्षिक संस्करण में व्यापक रूप से वन और वृक्षों के साथ-साथ खुले वन सहित वनों के प्रकार और जिलेवार विवरण प्रस्तुत किया गया है। डेटा का यह संग्रह अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न योजनाओं के तहत वनीकरण के लिए संभावित क्षेत्रों को लक्षित करने के स्रोत के रूप में कार्य करता है।

यह एक सामान्य प्रकिया है कि जब भी पेड़ की कटाई की अनुमति दी जाती है, वृक्षों की संख्या के 2 से 5 गुना अधिक वृक्षारोपण और इसकी वृद्धि सुनिश्चित की जाती है तथा वन भूमि को परिवर्तित करने के बदले प्रतिपूरक वनीकरण किया जाता है। इसके अलावा, वनों की कटाई की समस्या की भरपाई करने और देश में वन और वृक्षों के आवरण को सुधारने तथा इनमें वृद्धि करने के लिए, विभिन्न केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं जैसे मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी) और हरित भारत राष्ट्रीय मिशन (जीआईएम) में वनीकरण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मंत्रालय लोगों की भागीदारी के माध्यम से स्कूल नर्सरी और शहरी वानिकी कार्यक्रमों के आयोजन में भी सहयोग करता है। प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और नियोजन प्राधिकरण (सीएएमपीए) के अंतर्गत धनराशि को, अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिपूर्ति वनीकरण सहित वृक्षारोपण गतिविधि में भी उपयोग किया जाता है। इसके अलावा विभिन्न विभागों, गैर-सरकारी संगठनों, सिविल सोसायटी, कॉर्पोरेट निकायों आदि द्वारा भी वृक्षारोपण किया जाता है।

अनेक विभागों के प्रयासों से विकास की गति को बनाए रखने के साथ-साथ वनों की कटाई की समस्या का समाधान करके पर्यावरण संरक्षण में अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि वन आच्छादन स्थिर हो गया है और वर्षानुवर्ष लगातार बढ़ रहा है। भारत राज्य वन रिपोर्ट-2015 के अनुसार, वर्ष 2013 के आकलन में वन और वृक्षों के आच्छादन में 4902.6 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है जबकि भारत राज्य वन रिपोर्ट-2017 के अनुसार, भारत राज्य वन रिपोर्ट-2015 की तुलना में कुल वन और वृक्षों के आच्छादन में 8021 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ऐसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, जहां वर्ष 2015 के आकलन की तुलना में आईएसएफआर, 2017 में वन आच्छादन में वृद्धि का उल्लेख किया गया है, की सूची अनुबंध के रूप में संलग्न है। इस संबंध में

विभिन्न वनीकरण उपायों और विभिन्न एजेंसियों के ठोस प्रयासों के क्रियान्वयन से वन और वृक्षों के आच्छादन में बढ़ती प्रवृत्ति को बनाए रखने की उम्मीद है।

****

अनुबंध

'वनों की कटाई के कारण पर्यावरण के अवक्रमण' के संबंध में दिनांक 18.11.2019 को उत्तर के लिए श्री संजय सिंह द्वारा पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 62 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

भारत राज्य वन रिपोर्ट (आइएसएफआर), 2015 और आइएसएफआर, 2017 के अनुसार उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सूची दर्शाने वाला विवरण जिनमें वन आच्छादन में वृद्धि हुई है।

(क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	भौगोलिक क्षेत्र	वन आच्छादन		वन आच्छादन में परिवर्तन (क्षेत्रफल)
		आइएसएफआर, 2015	आइएसएफआर, 2017	
आंध्र प्रदेश	162968	26006	28147	2141
असम	78438	27538	28105	567
बिहार	94163	7254	7299	45
दिल्ली	1483	188.77	192.41	3.64
गोवा	3702	2210	2229	19
गुजरात	196244	14710	14757	47
हरियाणा	44212	1580	1588	8
हिमाचल प्रदेश	55673	14707	15100	393
जम्मू एंव कश्मीर	222236	22988	23241	253
झारखंड	79716	23524	23553	29
कर्नाटक	191791	36449	37550	1101
केरल	38852	19278	20321	1043
मणिपुर	22327	17083	17346	263
उड़ीसा	155707	50460	51345	885
पंजाब	50362	1771	1837	66
राजस्थान	342239	16106	16572	466
तमिलनाडु	130060	26208	26281	73
तेलंगाना	112077	19854	20419	565
उत्तर प्रदेश	240928	14401	14679	278
उत्तराखंड	53483	24272	24295	23
पश्चिम बंगाल	88752	16826	16847	21
दादरा और नगर हवेली	491	206	207	1
दमन एवं दीव	111	19.61	20.49	0.88
लक्षद्वीप	30	27.06	27.1	0.04
कुल योग	**3287469**	**383666.44**	**391958**	**8291.56**